निष्क्रिय खातों और मृतक के खातों को समझना

निष्क्रिय खाता क्या है?

अधिकांश बैंक तब उन बचत खातों, चालू खातों और अन्य प्रकार के जमा खातों को निष्क्रिय के रूप में वर्गीकृत करते हैं, जब उन खातों में निर्दिष्ट अवधि के बाद बैंक द्वारा शुरू किए गए लेनदेन (जैसे ब्याज और शुल्क) के अलावा कोई अन्य गतिविधि नहीं होती है। यह अवधि हर बैंक में अलग-अलग होती है, लेकिन आम तौर पर यह 6 महीने या उससे अधिक की होती है। कभी-कभी लोग बैंक में खाते खोल लेते हैं, कुछ समय के लिए पैसा जमा करते हैं, फिर अनजाने में उसमें कोई लेन-देन नहीं करते हैं या खाता बंद करने के बजाय खाता राशि को शून्य या नाममात्र की जमाराशि के साथ छोड़ देते हैं।

निष्क्रिय खाता अवांछनीय क्यों है?

अनावश्यक शुल्क

- निष्क्रिय खाते पैसे की बर्बादी हैं। अधिकांश बैंक निष्क्रिय खातों पर एक छोटा सा शुल्क लगाते हैं। अगर आप औपचारिक रूप से खाता बंद नहीं करते हैं, तो शुल्क लगना जारी रह सकता है, जिसका भुगतान अपने बैंक को करने के लिए आप जिम्मेदार होंगे।

कुछ सेवाओं का निलंबन

- कुछ बैंक निष्क्रिय खातों के धारकों को कुछ सेवाएं प्रदान करना बंद कर देंगे, जैसे एटीएम सेवा।

धोखाधड़ी का जोखिम

- अगर बैंक के रिकॉर्ड में निष्क्रिय खातों की संपर्क जानकारी पुरानी है और आपने अपने बैंक को समय पर सूचित नहीं किया है, तो बैंक के पास आपसे संपर्क करने का कोई तरीका नहीं होता है और इसलिए आपके स्टेटमेंट/नोटिस आपके पुराने

पते या संपर्क नंबर पर भेजे जाते रहेंगे, जिसे अन्य लोग पढ़ सकते हैं। आप बैंक के महत्वपूर्ण नोटिस और संदेशों को प्राप्त करने से भी चूक सकते हैं। चूंकि निष्क्रिय खातों की गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए आपके पास कम कारण होते हैं, इसलिए आप लेन-देन की निगरानी करने और स्टेटमेंट का मिलान करने में कम सतर्क हो सकते हैं। नतीजतन, यह एक बड़ा जोखिम हो सकता है कि अनधिकृत लेनदेन पर कुछ समय के लिए किसी का ध्यान न जाए। अपनी व्यक्तिगत जानकारी में परिवर्तन होने पर हमेशा अपने बैंक को तुरंत सूचित करें। कुछ बैंक आपके हितों की रक्षा के लिए निष्क्रिय खातों पर प्रतिबंध लगा देंगे।

खाता निष्क्रिय होने से कैसे बचें?

अनावश्यक खाते बंद करें

- अपने बैंक खातों की समीक्षा करें। किसी भी ऐसे खाते को औपचारिक रूप से बंद कर दें, जिसकी आपको आवश्यकता नहीं है। सुनिश्चित करें कि आपने अपने खाते(खातों) को बंद करने से पहले सभी स्थायी निर्देशों और प्रत्यक्ष डेबिट प्राधिकृतियों की पहचान कर ली है और उन्हें बंद कर दिया है। खाता बंद करने से पहले आपको रिकॉर्ड उद्देश्यों के लिए खाते के सभी इलेक्ट्रॉनिक स्टेटमेंट को डाउनलोड और संग्रहित करना चाहिए।

बैंक का नोटिस मिलने पर कार्रवाई करें

- निष्क्रिय खाते पर पहली बार शुल्क लगाने से पहले बैंकों को आपको 14 दिन का अग्रिम नोटिस देना होगा और आपको यह बताना होगा कि शुल्क से बचने के लिए क्या किया जा सकता है। इसलिए, बैंक की मेल या नोटिस पढ़ना याद रखें और नोटिस मिलने पर उसके अनुसार कार्रवाई करें। कृपया सुनिश्चित करें कि आपकी व्यक्तिगत जानकारी बैंक के रिकॉर्ड में अप-टू-डेट है, ताकि आप किसी भी महत्वपूर्ण नोटिस को पाने से न चूकें।

अगर आप अपने खातों से संबंधित जानकारी भूल गए हैं या उनसे संपर्क छूट चुका है तो आपको क्या करना चाहिए?

अपने पहचान दस्तावेजों (जैसे, हांगकांग पहचान पत्र) के साथ बैंक की किसी शाखा में जाएँ या बैंक की ग्राहक सेवा हॉटलाइन पर कॉल करें। बैंक आपकी पहचान प्रमाणित करने के बाद

यह जांचने में आपकी सहायता करने का प्रयास करेंगे कि उनके यहाँ आपका कोई खाता है या नहीं।

मृतक का खाता क्या है?

मृतक का खाता वह खाता है जिसके धारक का निधन हो गया है।

खाताधारक की मृत्यु के बारे में बैंकों को सूचित करना क्यों महत्वपूर्ण है?

बैंकों को सूचित करना इसलिए महत्वपूर्ण है, ताकि मृतक की संपत्ति के संभावित मालिकों या लाभार्थियों के हितों की रक्षा के लिए बैंक मृतक के खातों को फ़्रीज कर सके। व्यक्तिगत प्रतिनिधि द्वारा आगे के संचालन की प्रतीक्षा में मृतक के खातों को फ़्रीज कर दिया जाएगा (कृपया नीचे दिए गए अनुच्छेद में व्यक्तिगत प्रतिनिधि की परिभाषा देखें)। कृपया खाता स्थिति को अपडेट करने के लिए मृतक के मृत्यु प्रमाण पत्र की मूल या प्रमाणित प्रति बैंक में लाएं, ताकि अनधिकृत व्यक्तियों को मृतक की संपत्ति में हस्तक्षेप करने से रोका जा सके।

मृतक के बैंक खातों से कौन व्यवहार कर सकता है?

मृतक की संपत्ति का व्यवहार करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को आम तौर पर एक 'व्यक्तिगत प्रतिनिधि' के रूप में जाना जाता है, जो या तो मृतक की वसीयत में नामित निष्पादक होगा या एक व्यवस्थापक होगा जो मृतक का निकटतम परिजन हो सकता है या कोई वसीयत न होने की स्थिति में निर्वसीयतता के कानून द्वारा शासित प्राथमिकता के क्रम में अदालत का रजिस्ट्रार होगा या मृतक के लेनदार होंगे। सामान्य तौर पर, व्यक्तिगत प्रतिनिधि के पास मृतक की संपूर्ण संपत्ति का व्यवहार करने का अधिकार होता है, जैसे कि संबंधित संपत्ति का प्रबंधन करना और लाभार्थियों में उसका वितरण करना।

मृतक की संपत्तियों को संभालने से पहले व्यक्तिगत प्रतिनिधि को कौन से दस्तावेज़ प्राप्त करने होंगे?

HK$50,000 से अधिक मूल्य की मृतक की संपत्ति को संभालने के लिए व्यक्तिगत प्रतिनिधि को हांगकांग स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन के हाई कोर्ट की प्रोबेट रजिस्ट्री से एक ग्रांट ऑफ़ रिप्रेजेंटेशन प्राप्त करना आवश्यक है। ग्रांट ऑफ़ रिप्रेजेंटेशन मृतक की संपत्ति का व्यवहार करने के लिए किसी व्यक्ति के अधिकार के प्रमाण के रूप में कार्य करता है। अगर प्रोबेट रजिस्ट्री से ग्रांट ऑफ़ रिप्रेजेंटेशन प्राप्त करने के बाद व्यक्तिगत प्रतिनिधि को

किसी अतिरिक्त संपत्ति या देनदारियों का पता चलता है, तो उसे तब ग्रांट ऑफ़ रिप्रेजेंटेशन से जुड़ी संपत्ति और देनदारियों की अनुसूची में संशोधन करने की आवश्यकता हो सकती है, जब मृतक की संपत्ति में शामिल परिसंपत्तियां उस अनुसूची में शामिल न हों। ग्रांट ऑफ़ रिप्रेजेंटेशन के लिए आवेदन करने हेतु, कृपया प्रोबेट रजिस्ट्री से संपर्क करें।

अगर संपत्ति का मूल्य HK$50,000 से अधिक नहीं है, जो पूर्णतया धनसंपत्ति के रूप में है, तो मृतक का व्यक्तिगत प्रतिनिधि ग्रांट ऑफ़ रिप्रेजेंटेशन के बजाय गृह मंत्रालय विभाग से पुष्टिकरण नोटिस के लिए आवेदन कर सकता है। पुष्टिकरण नोटिस के लिए आवेदन विवरण हेतु, कृपया गृह मंत्रालय विभाग (एस्टेट बैनीफिशीएरी सपोर्ट यूनिट) से संपर्क करें।

मृतक के खाते को संभालने के लिए बैंक के समक्ष कौन से दस्तावेज़ प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है?

आवश्यक दस्तावेज़ एक बैंक से दूसरे बैंक के लिए भिन्न हो सकते हैं। सामान्य तौर पर, व्यक्तिगत प्रतिनिधि द्वारा निम्नलिखित दस्तावेज़ों को बैंक शाखा में लाने की आवश्यकता होगी:

- उच्च न्यायालय द्वारा जारी मूल ग्रांट ऑफ़ रिप्रेजेंटेशन/गृह मंत्रालय विभाग द्वारा जारी मूल पुष्टिकरण नोटिस
- व्यक्तिगत प्रतिनिधि के मूल पहचान दस्तावेज़
- मृतक के मूल पहचान दस्तावेज़
- मृतक के मृत्यु प्रमाण पत्र की मूल या प्रमाणित प्रति

अगर आप किसी मृतक व्यक्ति के खाते(खातों) के बारे में पता कर रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए? क्या इसमें हांगकांग एसोसिएशन ऑफ़ बैंक्स (HKAB) मदद कर सकता है?

HKAB के पास व्यक्तिगत बैंक खातों की कोई जानकारी नहीं होती है और वह विशिष्ट बैंक खातों से संबंधित मामलों से जुड़े सदस्य बैंकों के लिए मध्यस्थ के रूप में कार्य नहीं करता है।

कृपया संबंधित बैंकों से सीधे संपर्क करें, ताकि यह पता लगाया जा सके कि मृतक व्यक्ति का बैंकों में कोई खाता है या नहीं। सामान्य तौर पर, निम्नलिखित दस्तावेज़ों को प्रदान करने की आवश्यकता होगी:

- मृतक के मृत्यु प्रमाण पत्र की मूल या प्रमाणित प्रति

- मृतक के मूल पहचान दस्तावेज़
- खाते के बारे में पूछताछ करने वाले व्यक्ति के मूल पहचान दस्तावेज़
- खाते के बारे में पूछताछ करने वाले व्यक्ति और मृतक के बीच संबंध का मूल प्रमाण (जैसे, पति या पत्नी के लिए विवाह प्रमाण पत्र, माता-पिता/बच्चों के लिए जन्म प्रमाण पत्र)
- मृतक की मूल वसीयत, अगर कोई हो

अगर आपको दस्तावेज़ संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने में कठिनाई हो रही है, तो कृपया बैंकों से संपर्क करके चर्चा करें कि आप और क्या कर सकते हैं और बैंक आपकी सहायता करने का प्रयास करेंगे।